



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 5 नवम्बर, 2025

कार्तिक 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्या I/1133353-2025

लखनऊ, 5 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0-65

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 73 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2380/18-11-97-601-67 दिनांक 5 जून, 1997 का अधिक्रमण करके राज्यपाल एतद्वारा निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित अधिकारिता के भीतर उन खनिजों के सम्बंध में किया जा सकता है जिन पर पूर्वोक्त नियमावली लागू हो और जो पूर्वोक्त नियमावली में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्वधीन हो:-

अनुसूची

क्रम संख्या	नियम	अधिकारी	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3	4
1	22	जिला अधिकारी	जिले के भीतर
2	23(1)	जिला अधिकारी	"
3	33(1)	जिला अधिकारी	"

1	2	3	4
4	35 (5) का परन्तुक	जिला अधिकारी	जिले के भीतर
5	39	(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश	राज्य के भीतर
		(2) जिला अधिकारी	जिले के भीतर
6	47	जिला अधिकारी	“
7	48	जिला अधिकारी	“
8	61	जिला अधिकारी	“

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1133353-2025, dated November 5, 2025:

No. I/1133353-2025

Dated Lucknow, November 5, 2025

IN exercise of powers under rule 73 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 and in supersession of the notification no. 2380/18-11-97-601-67 dated June 5, 1997, the Governor hereby directs, that the powers exercisable by the State Government under the rules mentioned in Column-2 of the Schedule given below, may be exercised by the officers mentioned in Column-3 of the said Schedule within jurisdiction mentioned in Column-4 of the said Schedule in respect of minerals to which the aforesaid Rules apply and subject to such conditions as mentioned in the aforesaid Rules :-

SCHEDULE

Sl. No.	Rules	Officer	Area of jurisdiction
1	2	3	4
1	22	District Officer	Within the District
2	23(1)	District Officer	Within the District
3	33(1)	District Officer	Within the District
4	Proviso to 35 (5)	District Officer	Within the District
5	39	(1) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh	Within the State
		(2) District Officer	Within the District
6	47	District Officer	Within the District
7	48	District Officer	Within the District
8	61	District Officer	Within the District

By order,
MALA SRIVASTAVA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 238 राजपत्र-2025-(731)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० भूतत्व एवं खनिकर्म-2025-(732)-1200 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।